इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022---आश्विन 8, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. 14823-236-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को महामिहम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२२

विषय-सूची.

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २. धारा १६ का संशोधन.
- ३. धारा २९ का संशोधन.
- ४. धारा ३४ का संशोधन.
- ५. धारा ३७ का संशोधन.
- ६. धारा ३८ का स्थापन.
- ७. धारा ३९ का संशोधन.
- ८. धारा ४१ का स्थापन.
- ९. धारा ४२, ४३ और ४३क का लोप.
- १०. धारा ४७ का संशोधन.
- ११. धारा ४८ का संशोधन.
- १२. धारा ४९ का संशोधन.
- १३. धारा ५० का संशोधन
- १४. धारा ५२ का संशोधन.
- १५. धारा ५४ का संशोधन.
- १६. धारा १४६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.
- १७. धारा ५० की उपधारा (१) एवं (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा ५६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.
- १८. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट.
- १९. धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होना.
- २०. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २९ सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई; अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० सितम्बर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की धारा २ से १५ तथा धारा २० उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसुचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

े २. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा की धारा १६ में,—

धारा १६ का मंगोधन

- (क) उपधारा (२) में,---
 - (एक) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''(खक) धारा ३८ के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निबंधित नहीं किए गए हों:'':
 - (दो) खण्ड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा ४३क'' का लोप किया जाए;
- (ख) उपधारा (४) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द और अंक "तीस नवम्बर" स्थापित किए जाएं.
- ३. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (२) में,—

धारा २९ का संशोधन.

- (क) खण्ड (ख) में, शब्द ''तीन क्रमवर्ती कर अविधयों के लिए विवरणी'' के स्थान पर शब्द ''उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी'' स्थापित किए जाएं;
- (ख) खण्ड (ग) में, शब्द ''लगातार छह मास की अवधि तक'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी कि विहित की जाए'', स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, शब्द''सितम्बर मास''के स्थान पर, शब्द''तीस नवम्बर''स्थापित धारा किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन धारा ३७ का ५. मूल अधिनियम की धारा ३७ में,— संशोधन.

- (क) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
 - "(१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यधीन तथा ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों की, की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १० वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे, उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसुचित किए जाएंगे:

परन्तु, आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्तियों के जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिये समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु, यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा,

- (ख) उपधारा (२) का लोप किया जाए;
- (ग) उपधारा (३) में,-
 - (एक) शब्द और अंक ''और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं'', का लोप किया जाए;
 - (दो) प्रथम परंतुक में, शब्द और अंक ''सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने'' के स्थान पर, शब्द ''तीस नवम्बर'' स्थापित किए जाएं;
- (घ) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन किसी कर अविध के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अविधयों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (१) के अधीन, जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अविधयों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं.''.

६. मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ३८ का स्थापन.

''३८. (१) धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो कि विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा स्वत: जिनत विवरण, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को, इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे.

आवक पूर्तियों तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.

- (२) उपधारा (१) के अधीन स्वत: जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-
 - (क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; और
 - (ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ, प्राप्तकर्ता द्वारा, धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,—
 - (एक) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रिजस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए; या
 - (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जो कर के संदाय में व्यतिक्रमी रहा है और ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या
 - (तीन) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अविध के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अविध के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या
 - (चार) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से, खण्ड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए, जिसका कि उसके द्वारा लाभ लिया जा सकता है; या
 - (पांच) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा ४९ की उपधारा (१२) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
 - (छह) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं.''

७. मूल अधिनियम की धारा ३९ में,—

धारा ३९ का संशोधन.

(क) उपधारा (५) में, शब्द ''बीस'' के स्थान पर, शब्द ''तेरह'' स्थापित किया जाए;

(ख) उपधारा (७) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु उपधारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये,—

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या
- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाए, अवधारित रकम,

का भुगतान करेगा.'';

- (ग) उपधारा (९) में,—
 - (एक) शब्द और अंक ''धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि,'' के स्थान पर, शब्द ''जहां'' स्थापित किया जाए;
 - (दो) परंतुक में, शब्द ''सितम्बर मास के लिए या दूसरी तिमाही के लिए वार्षिक विवरणी देने की नियत तारीख,'' के स्थान पर, शब्द ''तीस नवंबर'' स्थापित किए जाएं;
- (घ) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
 - ''(१०)किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अविधयों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अविध के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों.''.

धारा ४१ का स्थापन. ८. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग. ''४१. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्विनधीरित रूप में, पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी.

(२) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ वापस किया जाएगा:

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति के संबंध में संदेय कर का भुगतान करता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा वापस की गई प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुन: प्राप्त कर सकेगा.''.

९. मूल अधिनियम की धारा ४२, ४३ और ४३ (क) का लोप किया जाए.

धारा ४२, ४३ और ४३ (क) का लोप.

१०. मूल अधिनियम की धारा ४७ में, उपधारा (१) में,—

धारा ४७ का संशोधन.

- (क) शब्द ''या अंतर्गामी'' का लोप किया जाए;
- (ख) शब्द और अंक ''या धारा ३८'' का लोप किया जाए;
- (ग) शब्द और अंक ''धारा ३९ या धारा ४५'' के पश्चात्, शब्द और अंक ''या धारा ५२'' अंत:स्थापित किए जाएं.

११. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, उपधारा (२) में, शब्द और अंक ''धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे.'' का लोप किया जाए.

धारा ४८ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

धारा ४९ का संशोधन.

- (क) उपधारा (२) में, शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा ४३ क'' का लोप किया जाए;
- (ख) उपधारा (४) में, शब्द ''ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्ययीन रहते हुए'' स्थापित किए जाएं;
- (ग) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा."

१३. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित की गई समझी जाए, अर्थात्:—

धारा ५० का संशोधन.

''(३) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनिधक की ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.''. धारा ५२ का १४. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (६) में, परंतुक में, शब्द ''सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए संशोधन. सम्यक् तारीख'' के स्थान पर, शब्द ''तीस नवंबर'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का संशोधन. १५. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,—

- (क) उपधारा (१) में, परंतुक में, शब्दों और अंकों ''धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा'' स्थापित किए जाएं;
- (ख) उपधारा (२) में, शब्द ''छह मास'' के स्थान पर, शब्द ''दो वर्ष'' स्थापित किए जाएं;
- (ग) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (३) के अधीन'' का लोप किया जाए;
- (घ) स्पष्टीकरण में, खंड (२) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(खक) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;

धारा १४६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन १६. (१)

अधिसचना क्रमांक

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनयम २०१७ की धारा १४६ के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४७ पर दिनांक २३ जनवरी, २०१८ में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-०७-२०१८-१-पांच(८) दिनांक २३ जनवरी, २०१८ में संशोधन किए जाएंगे और नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट रीति से उस तालिका के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट तारीख से, भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा.

संशोधन

संशोधन की प्रभावी

ગાંવલૂવના પ્રાનાના	(171191)	21/11-11 30 N 11-11
और तारीख		तारीख
(१)	(7)	(\$)
अधिसूचना क्रमांक एफ-ए- ३-०७-२०१८-१-पांच(८)	उक्त अधिसूचना में पैरा १ में, शब्द ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत	२२ जून, २०१७
दिनांक २३ जनवरी, २०१८	कर की संगणना तथा परिनिर्धारण'' के	
	स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना	
	तथा परिनिर्धारण और अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-५०-२०१९-१-	
	पांच (०७) दिनांक १४-०२-२०२०	
	में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मध्यपदेश माल और सेवा कर नियम,	
	२०१७ के अधीन उपबंधित सभी कृत्य.''.	

- (२) उपधारा (१) में प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानों कि राज्य सरकार को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १४६ के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी.
- १७. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५० की उपधारा (१) और उपधारा (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ३०७ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-२७-२०१७-पांच(५४), दिनांक ३० जून २०१७ में संशोधन किए जाएंगे और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट रीति में उक्त तालिका के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी रूप से किए गए समझे जाएंगे.

अधिसचना क्रमांक

धारा ५० की उपधारा (१) एवं (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.

संशोधन की

और तारीख		तारीख	
(१)	(२)	(ξ)	
अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम	१ जुलाई २०१७	
२७-२०१७-१-पांच(५४)	संख्या २ के सामने, स्तंभ (३) में,		
दिनांक ३० जून २०१७	''२४'' अंकों के स्थान पर, ''१८''		
	अंक रखे जाएंगे.		

संशोधन

- (२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानों कि राज्य सरकार को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५० की उपधारा (१) और उपधारा (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी.
- १८. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, पिरषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४३३ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३/३३/२०१७/१/पांच (४२), दिनांक ५ अगस्त २०१७ में अन्तर्विष्ट िकसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष २३०१ के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशियत अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, १ जुलाई २०१७ से प्रारंभ होकर, ३० सितंबर, २०१९ (दोनों दिन सिम्मिलित) को समाप्त होने वाली अविध के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा.

कितपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण से या संग्रहण से छूट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना.

- (२) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.
- १९. (१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४६४ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-३९/२०१७/१/पांच (८३), दिनांक २२ नवम्बर, २०१९, सभी प्रयोजनों के लिए १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना.

(२) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.

कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से छूट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना. २०. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४३३ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–ए–३/३३/२०१७/१/पांच (४२), दिनांक ५ अगस्त, २०१७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:—

- (एक)मत्स्य आहार (शीर्ष २३०१ के अधीन आने वाला) की प्रदाय के संबंध में, १ जुलाई, २०१७ से प्रारंभ होकर, ३० सितंबर, २०१९ (दोनों दिन सिम्मिलित) को समाप्त होने वाली अविध के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा.
- (दो) पूली, व्हील्स और अन्य भाग (शीर्ष ८४८३ के अधीन आने वाला) और कृषि उपकरण के भाग के रूप में प्रयुक्त (शीर्ष ८४३२, ८४३३ एवं ८४३६ के अधीन आने वाला) के प्रदाय के संबंध में, १ जुलाई, २०१७ से प्रारंभ होकर, ३१ दिसंबर, २०१८ (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अविध के दौरान, छह प्रतिशत की दर से राज्य कर उद्गृहीत या संग्रहीत किया जाएगा.
- (२) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. 236-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 15 of 2022

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement
- 2. Amendment of Section 16.
- 3. Amendment of Section 29.
- Amendment of Section 34.
- 5. Amendment of Section 37.
- 6. Substitution of Section 38.
- 7. Amendment of Section39.
- 8. Substitution of Section 41.
- 9. Deletion of Sections 42, 43 and 43A.
- 10. Amendment of Section 47.
- 11. Amendment of Section 48.
- 12. Amendment of Section 49.
- 13. Amendment of Section 50.
- 14. Amendment of Section 52.
- 15. Amendment of Section 54.
- 16. Retrospective amendment of notification issued under section 146.
- 17. Retrospective amendment of notification issued under sub-sections(1) and (3) of Section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56.
- 18. Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.
- 19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of Section 7.
- 20. Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.

MADHYA PRADESH ACT No. 15 of 2022

THE MAHDYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 29th September, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th September, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

Short title and commencement.

(2) Save as otherwise provided, sections 2 to 15 and 20 of this Act shall come into force from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16,—

Amendment of Section 16.

- (a) in sub-section (2),—
- (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:---
- "(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;";
- (ii) in clause (c), the words, figure and letter "or section 43A" shall be omitted;
- (b) in sub-section (4), for the words and figure "due date of furnishing of he return under section 39 for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.
- 3. In Section 29 of the principal Act, in sub-section (2), —

Amendment of Section 29.

- in clause (b), for the words "returns for three consecutive tax periods", the words "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted;
- (b) in clause (c), for the words "a continuous period of six months", the words "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.
- 4. In Section 34 of the principal Act, in-section (2), for the word "September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted.

Amendment of Section 34.

Amendment

of Section 37.

- 5. In Section 37 of the principal Act,-
 - (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under the provisions of Section 10 or Section 51 or Section 52, shall furnish, electronically, subject to such conditions and restrictions and in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit noticed by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner;

- (b) sub-section (2) shall be deleted;
- (c) in sub-section (3),—
 - (i) the words and figures "and which have remained unmatched under Section 42 or Section 43" shall be omitted;
 - (ii) in the first proviso, for the words and figures "furnishing of the return under Section 39 for the month of September", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
- (d) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.".

- 6. For Section 38 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "38.(1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of Section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.
 - (2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of-
 - (a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and
 - (b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of Section 37,—
 - (i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or
 - (ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or
 - (iii) by any registered person, the output tax payable by who min accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

Substitution of Section 38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.

- (iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause (a),by such limit as may be prescribed; or
- (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of Section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
- (vi) by such other class of persons as may be prescribed.".

7. In Section 39 of the principal Act,—

Amendment of Section 39.

- (a) in sub-section (5), for the word "twenty", the word "thirteen" shall be substituted;
- (b) in sub-section(7), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
- "Provided that every registered person furnishing return nunder the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,—
- (a) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or
- (b) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.";
- (c) in sub-section (9),—
 - (i) for the words and figures "Subject to the provisions of Sections 37 and 38, if, the word "Where" shall be substituted;
- (ii) in the proviso, for the words "the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter", the words "the thirtieth day of November" shall be substituted;
- (d) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods or the details of outward supplies under sub-section (1) of Section 37 for the said tax period has not been furnished by him:
- Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of Section 37 for the said tax period.".
- 8. For Section 41 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 41.

"41. (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self- assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

Availment of input tax credit.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable where on has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.".

Deletion of Sections 42, 43 and 43A.

9. Sections 42, 43 and 43A of the principal Act, shall be deleted.

Amendment of Section 47.

- 10. In Section 47 of the principal Act, in sub-section (1),—
 - (a) the words "or inward" shall be omitted;
 - (b) the words and figures "or Section 38" shall be omitted;
 - (c) after the words and figures "Section 39 or Section 45", the words and figures "or section 52" shall be inserted.

Amendment of Section 48.

11. In Section 48 of the principal Act, in sub-section (2), the words and figure "the details of in ward supplies under section 38" shall be omitted.

Amendment of Section 49.

- 12. In Section 49 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (2), the words, figure and letter "or Section 43A" shall be omitted;
 - (b) in sub-section (4), for the words "subject to such conditions", the words "subject to such conditions and restrictions" shall be substituted;
 - (c) after sub-section (11), the following new sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(12) Notwithstanding any thing contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.".

Amendment of Section 50.

- 13. In section 50 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
 - "(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilised, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilised, at such rate not exceeding twenty-four percent as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed."

Amendment of Section 52.

14. In Section 52 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, for the words "due date for furnishing of statement for the month of September", the words "thirtieth day of November" shall be substituted.

15. In Section 54 of the principal Act,-

Amendment of Section 54

- in sub-section (1),in the proviso, for the words and figure "may claim such refund (a) in the return furnished under section 39 in such manner as may be prescribed",the words "may claim such refund in such form and manner as may be prescribed" shall be substituted:
- (b) in sub-section (2), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted:
- in sub-section (10), the words, bracket and figure "under sub-section (3)" shall (c) be omitted;
- (d) in the Explanation, in clause (2), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(ba) in case of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;".

16. (1) The notification No. F. A-3-07-2018-1-V-(8), published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)Serial No 47 dated the 23rd January, 2018, issued by the State Government, on the recommendations of the Council, under section146 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, as specified in column (2) of the table below, on and from the date specified in column (3) of that Table :-

Retrospective amendment of notification issued under Section 146.

TABLE

Notification number and date	Amendment	Date of effect of Amendment	
(1)	(2)	(3)	

No. F. A-3-07-2018-1-V-(8), Dated 23rd January, 2018

In the said notification, in paragraph 1, 22nd June, 2017 for the words "furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax", the following shall be substituted, namely:-

"furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification No. F A-3-50-2019-1-V (07), Dated 14th February, 2020, all functions provided under The Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.".

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section146 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 retrospectively, at all material times.

Retrospective amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56.

17.

(1) (1) The notification No F. A-3-27/2017/1/FIVE-(54), published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Serial No 307 dated the 30th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively as specified in column (2) of the table below, on and from the date specified in column (3) of that table:—

TABLE

Notification number and date	Amendment	Date of effect of Amendment
(1)	(2)	(3)
No F. A-3-27/2017/1/FIVE- (54), dated the 30th	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3),	1st July, 2017
June, 2017,	for the figures "24" the figures "18" shall be substituted.	

(2) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.

- 18. (1) Notwithstanding anything contained in the notification no. F-A3-33-2017-1-V(42), published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Serial No. 293 dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).
- (2)No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of Sction7.

- 19. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification no F A-3-39/2017/ 1/V(83), published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Serial No.464 dated the 22nd November, 2019, issued by the State Government, on the recommendations of the Council, inexercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.
- (2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

Retrospective exemption from, or levy or collection of, State tax in certain cases.

20. (1) Notwithstanding anything contained in the notification no. F. A-3-33-2017-1-V(42), published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) at Serial No 293 dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the

powers under sub-section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017,—

- (i) no State tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);
- (ii) State tax at the rate of six percent shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).
- (2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.